

M.P. JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION- 2013

Roll No./ अनुक्रमांक

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Candidate should write his Roll No. here
परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें

C.J.-13

(Judgment/Order Writing)

Fourth Paper

निर्णय/आदेश लेखन

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

Total No. of Questions :2

कुल प्रश्नों की संख्या : 2

Time Allowed -1.30 Hours

समय - 1.30 घण्टे

No. of Printed Pages : 8

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 8

Maximum Marks – 50

पूर्णांक - 50

Instructions / निर्देश :-

1. This Question Paper consists of Two Questions. All questions have to be answered. Answer to the questions must be given in one language either in Hindi or in English.
इस प्रश्न-पत्र में कुल दो प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।
2. In case there is any difference either of printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the version in which the candidates has attempted his answer, will be treated as standard.
यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई मुद्रण या तथ्यात्मक अंतर हो, तो हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अभ्यर्थी ने जिस भाषा में प्रश्न हल किया है उसी भाषा के लिखित प्रश्न के तथ्यों को मानक माना जायेगा।
3. While answering a Question, do not use any word indicating a name. Where ever needed, use alphabets " A B C". Please do not mention your name, address, roll number or any specific mark or name under any circumstances. Otherwise it will be treated as disqualification and candidature shall be cancelled.
किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी नामवाचक शब्द का प्रयोग न करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ नाम के स्थान पर अक्षर "ए बी सी" का प्रयोग करें। स्वयं के नाम, पते, रोल नम्बर या विशिष्ट चिन्ह अथवा नाम का उल्लेख कदापि न करें। अन्यथा इसे अयोग्यता माना जायेगा तथा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
4. Write your Roll number in the space provided on the first page of Answer-Book or supplementary sheet. Any attempt to disclose identity, in any way by any means in any other part thereof shall disqualify the candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी भी साधन द्वारा किसी अन्य भाग पर पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवारी निरहित हो जावेगी।
5. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for this Question Paper. Answers given on another Answer-book shall not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, इस हेतु दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
6. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such answer-sheet shall not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

- 1 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts. 30

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये।

PLAINTIFF'S PLEADINGS

'A' filed a suit for declaration of relationship, eviction and recovery of rent against 'B' with pleadings that the suit house situated at Dhar was purchased by him some three years ago. 'A' is residing in a rental house and he needs bonafidely the suit house for residence of his family. He has no other suitable accommodation of his own in the town. Previously he had also filed a suit against 'B' for eviction on bona-fide requirement but the same was dismissed being filed within six months of the purchase of suit house by him. In the previous suit the defendant has also challenged the relationship hence a decree of declaration of relationship is also sought as the court has held that tenancy is not proved.

DEFENDANT'S PLEADINGS

'B' denied the plaint allegations substantially and pleaded in the written statement that there is no relationship of land lord and tenant among the parties. The plaintiff has no bona fide requirement and the suit is also barred by principle of res-judicata as the civil court has already dismissed the previous suit holding that the tenancy is not proved. During proceeding at evidence stage the W/S was amended by inserting a para that during pendency of suit the plaintiff has purchased and got vacated another house of his own and started living with his family.

Plaintiff's evidence-

Plaintiff has produced original sale deed (Ex.P1) copy of judgment of previous suit (Ex.P2). he has also produced himself and two witnesses 'C' and 'D' in oral evidence. The plaintiff 'A' has deposed the facts narrated in pleadings however he has admitted that during pendency of the suit he has purchased a house and he is residing in it however he has clarified that other family members are residing in rented

house. He has also admitted that there is no pleading regarding purchase of another house and no notice was given to defendant regarding purchase of suit house. Other witnesses have proved the purchase of suit house by plaintiff and necessity of plaintiff. They have shown their ignorance from the purchase of another house.

Defendant's evidence

Defendant has produced certified copy (Ex. D.1), the sale deed of the other house. Defendant has produced himself and one witness 'F' in evidence. Defendant has approved his pleading and deposed that with purchase of another house the requirement if any of plaintiff comes to end. Defendant had no notice regarding purchase of suit house by plaintiff and plaintiff has never realized the rent from defendant hence he can not be evicted on basis of disclaimer of title. The witness also supported the defendant's statement. Although defendant and his witness have admitted that they have not seen family of plaintiff residing in another house and they do not know whether the plaintiff has vacated/ left the rented house or not.

Arguments plaintiff

Even after first suit the defendant has denied the title of plaintiff on suit house. Defendant has not proved that the plaintiff has shifted in other house with family. Thus he has failed to prove that bona fide requirement of plaintiff is not genuine or comes to end. Plaintiff and his witnesses have proved the bonafied requirement. Previous suit was not maintainable hence principle of res-judicata does not apply in this suit. Since the defendant has also denied the title of plaintiff, hence the plaintiff also deserves to get the decree of eviction on this ground.

Arguments defendant

Disclaimer in a non-maintainable suit will not be treated as a ground against defendant. Since the plaintiff has admitted the purchase and taking possession of second/other house, he was under obligation to prove that this house is insufficient for the residence of his family. But the plaintiff has not prove this fact either by pleading or by evidence principle of res-judicata also applies in this case, because the civil court had inherent jurisdiction

वादी के अभिवचन -

'ए' ने 'बी' के विरुद्ध एक वाद घोषणा, निष्काषन, कब्जा एवं अवशेष किराया हेतु इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि धार में स्थित वादग्रस्त भवन उसने इसके पूर्व स्वामी से लगभग 3 वर्ष पूर्व क़य कर लिया है । 'ए' एक किराये के मकान में रहता है और उसे अपने परिवार के निवास हेतु वादग्रस्त भवन की सद्भावी आवश्यकता है । उसके पास नगर में स्वयं का अन्य कोई उपयुक्त आवास नहीं है । पूर्व में उसने सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्काषन का वाद 'बी' के विरुद्ध प्रस्तुत किया था लेकिन वह वादग्रस्त भवन के क़य से 06 माह के भीतर प्रस्तुत होने से निरस्त कर दिया गया । उस पूर्व वाद में प्रतिवादी ने किरायेदारी के संबंध को चुनौती दी थी । अतः वादी द्वारा इस वाद में संबंधों की घोषणा की डिक्री भी चाही गई है । क्योंकि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया था कि किरायेदारी प्रमाणित नहीं है ।

प्रतिवादी के अभिवचन -

'बी' ने वाद अभिकथनों को सारतः अस्वीकार किया और लिखित कथन में अभिवचन किया कि पक्षकारों में भू स्वामी और किरायेदार के संबंध नहीं है । वादी को कोई सद्भावी आवश्यकता नहीं है और वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से भी बाधित है क्योंकि सिविल न्यायालय वादी के पूर्ववर्ती वाद को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरस्त कर चुका है कि किरायेदारी प्रमाणित नहीं है । कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के प्रक्रम पर लिखित कथन में एक पैरा जोड़ते हुए यह संशोधन किया गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादी ने स्वयं का मकान क़य कर कब्जा प्राप्त कर लिया और अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा है । किराया बकाया होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

वादी की साक्ष्य—

वादी ने मूल विक़य पत्र (प्रदर्श पी.1) एवं पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श पी. 2) प्रस्तुत की है । उसने स्वयं को व 02 साक्षियों 'सी' एवं 'डी' को मौखिक साक्ष्य में भी प्रस्तुत किया है । वादी 'ए' ने अपने अभिवचनों में बताये तथ्यों का कथन किया है । हालांकि उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान उसने एक मकान क़य किया है जिसमें वह रहता है लेकिन उसने यह स्पष्ट किया है कि उसके परिवार के सदस्य किराये के मकान में ही रहते हैं । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दूसरे मकान के क़य के संबंध में उसके कोई अभिवचन नहीं है और वादग्रस्त भवन के क़य करने के संबंध में उसने कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने किराया न्यायालय में जमा करा दिया है । अन्य साक्षियों ने वादी द्वारा वादग्रस्त भवन क़य करने और वादी की आवश्यकता को प्रमाणित किया है । उन्होंने अन्य (दूसरे) मकान के क़य के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है ।

प्रतिवादी की साक्ष्य—

प्रतिवादी ने दूसरे मकान के विक़य पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रदर्श डी.1) प्रस्तुत की है । प्रतिवादी ने स्वयं को और एक साक्षी 'एफ' को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है । प्रतिवादी ने अपने कथन में अपने अभिवचनों की पुष्टि की और कथन किया कि दूसरे मकान के क़य करने से वादी की आवश्यकता यदि कोई हो तो समाप्त हो जाती है । प्रतिवादी को वादी की ओर से वादग्रस्त भवन के क़य करने की कोई सूचना नहीं है और वादी ने प्रतिवादी से कभी कोई किराया वसूल नहीं किया है । अतः प्रतिवादी स्वत्व की इन्कारी के आधार पर निष्काषित नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादी के साक्षी ने भी प्रतिवादी के कथन का समर्थन किया है । हालांकि प्रतिवादी व उसके साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने वादी के परिवार को अन्य मकान में रहते स्वयं नहीं देखा और उन्हें यह पता नहीं कि वादी ने किराये का मकान छोड़ा या नहीं ।

तर्क वादी—

प्रथम वाद के पश्चात भी प्रतिवादी ने वादग्रस्त भवन पर वादी के स्वत्व से इन्कारी की। प्रतिवादी ने यह प्रमाणित नहीं किया कि वादी सपरिवार अन्य भवन में शिफ्ट हो गया है। इस प्रकार वह यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि वादी की सद्भावी आवश्यकता सच्ची नहीं है अथवा समाप्त हो गई है। वादी और उसके साक्षियों ने सद्भावी आवश्यकता को प्रमाणित किया है। पूर्ववर्ती वाद पोषणीय नहीं था अतः पूर्वन्याय का सिद्धान्त इस वाद में प्रयोज्य नहीं है।

तर्क प्रतिवादी—

अपोषणीय वाद में किये गये स्वत्व के इन्कार को प्रतिवादी के विरुद्ध इस वाद में आधार नहीं बनाया जा सकता। चूंकि वादी ने यह दूसरे अन्य भवन को क़य करना व कब्जा लेना स्वीकार किया है अतः वह यह प्रमाणित करने के दायित्वाधीन था कि यह भवन उसके परिवार के निवास के लिये अपर्याप्त है। लेकिन वादी ने इस तथ्य को अभिवचन अथवा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। पूर्वन्याय का सिद्धान्त भी इस प्रकरण में लागू होता है क्योंकि सिविल न्यायालय को अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार था।

2

Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the concerning law.

20

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधियों के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये।

PROSECUTION CASE -

On 11-12-13 in the evening at about 7:25 PM, informant 'B' lodged a First Information Report with police station Kotwali, Mandsaur to the effect that he resides in House No. 10, Station Road, Mandsaur. On 11-12-13 in evening about 6:30 PM, while he was talking in his drawing room with his friend 'C', suddenly accused A1 and A2 because of previous enmity with 'B' came in to the drawing room armed with Lathis. Both the accused person assaulted 'B' with their lathi. Because of assault 'B' sustained bleeding injuries over head and right arm. When 'C' tried to save 'B', accused A1 and A2 also gave lathi blows to 'C', who sustained bleeding injuries over left arm and right leg. When other family member of 'B' and neighbours came and shouted to save 'B' and 'C', both the accused persons intimidated 'B' by threatening to cause death and then fled away.

Thereafter 'B' and 'C' came to the police station Kotwali Mandsaur and 'B' lodged the report, thereby, police registered case under crime no. 350/13 and thana incharge firstly sent both the injured persons to district hospital Mandsaur, where

Dr. 'D' medically examined both the injured persons. Injuries found over 'C' were simple in nature, whereas both the injuries found over 'B' were grievous in nature. All the injuries found on injured persons were caused by hard and blunt object. During investigation site plan was prepared, accused A1 and A2 were arrested, lathis were also seized from them and after completion of investigation the chargesheet against A1 and A2 filed under Section 452, 323, 325, 506/34 of I.P.C.

DEFENCE PLEA-

The accused persons have denied the charges and their defence plea is that they have been falsely implicated on account of enmity.

PROSECUTION EVIDENCE-

In examination in chief 'B' (P.W.1) stated that on the date and time of incident the accused A1 and A2 entered into his house and assaulted him over right arm and right side on head with lathis and when his friend 'C' (P.W.2) tried to save him both the accused persons also gave lathi blow to 'C' (P.W.2). His family members and neighbours came and shouted over accused A1 and A2 and they fled away. Then he lodged report Exhibit P-1 in police station Kotwali, Mandsaur and doctor also medically examined him at district hospital Mandsaur. His right arm and right side of head were fractured and he was admitted in hospital for seven days. In cross examination 'B' (P.W.1) had denied the suggestion of the defence that he has received the injuries by fall.

Another injured witness 'C' (P.W.2) also supported the prosecution version to the extent as of the P.W.1.

Dr. 'D' (P.W.3) also corroborated the versions of 'B' (P.W.1) and 'C' (P.W.2) by proving their MLC reports Exhibit P3 and P4, X-ray report of 'B' Exhibit P5 and X-ray plates Article X-1 and X-2.

DEFENCE EVIDENCE -

The accused A1 and A2 in their examination U/s. 313 of Cr.P.C. denied the allegations against them and took a defence of false implication due to enmity. No further evidence in defence is given by the accused persons.

ARGUMENTS PROSECUTION -

District Prosecution Officer has argued that the all charges against accused persons are proved beyond any reasonable doubt, hence the accused persons be convicted accordingly and rigours punishment be imposed.

ARGUMENTS DEFENCE -

Accused persons have been falsely implicated due to enmity. Prosecution evidence is doubtful as no independent witnesses is produced and accused persons can not be convicted only with evidence of partisan witnesses. Hence, they be acquitted.

अभियोजन का प्रकरण :-

दिनांक 11-12-2013 को शाम करीब 7.25 बजे सूचनाकर्ता 'बी' ने आरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की की कि वह मकान न. 10 स्टेशन रोड़, मन्दसौर में रहता है। दिनांक 11-12-2013 को शाम करीब 6.30 बजे जब वह अपने ड्राईंग रूम में उसके मित्र 'सी' के साथ बातचीत कर रहा था, अचानक अभियुक्त ए-1 और ए-2, 'बी' के साथ पूर्व रंजिश के कारण लाठियों के साथ सुसज्जित आए। दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने 'बी' पर अपनी लाठियों के साथ हमला किया। हमले के कारण 'बी' को सिर पर और दांयी भुजा पर रक्तस्राव युक्त उपहतियाँ पहुँची। जब 'सी' ने 'बी' का बचाव का प्रयत्न किया तो अभियुक्त ए-1 और ए-2 ने 'सी' को भी लाठी से चोटें पहुँचाई, जिसके कारण उसे बांयी भुजा और दांये पैर में रक्तस्राव युक्त उपहतियाँ पहुँची। जब 'बी' के परिवार के अन्य सदस्य और पड़ौसी आए और 'बी' व 'सी' को बचाने के लिए चिल्लाये तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने 'बी' को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया और फिर भाग गए।

इसके बाद 'बी' और 'सी' आरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर आए और 'बी' ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से आरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में अपराध क्र. 350/2013 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और थाना प्रभारी ने प्रथमतः दोनों आहत व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय, मन्दसौर भेजा जहाँ डॉक्टर 'डी' ने दोनों आहत व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया। 'सी' के शरीर पर पाई गई चोटें साधारण प्रकृति की थी, जबकि 'बी' के शरीर पर दांयी अल्ना हड्डी और सिर के दांये पैरायटल क्षेत्र में अस्थिभंग की गम्भीर उपहतियाँ पाई गई। आहत व्यक्तियों के शरीर पर पाई गई सभी चोटें किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से पहुँचाई गई थी।

अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका बनाया गया, अभियुक्त ए-1 व ए-2 को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से लाठियाँ जप्त की गई और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् ए-1 व ए-2 के विरुद्ध धारा 452, 323, 325, 506/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया और रंजिशवश उन्हें इस मामले में झूठा फंसाना बताया।

अभियोजन साक्ष्य :-

'बी' (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त ए-1 और ए-2 उसके मकान के अन्दर आ गए थे और उसकी दांयी भुजा और सिर पर दांये तरफ लाठियों से हमला किया और जब उसका मित्र 'सी' उसे बचाने के लिए आया था तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने भी 'सी' पर भी लाठियों से वार किए थे। उसके परिवार के सदस्य और पड़ोसी आए थे और ए-1 व ए-2 पर चिल्लाये थे तो वे भाग गए थे। इसके बाद उसने आरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में इसकी रिपोर्ट प्र.पी.1 की थी और डॉक्टर ने भी जिला चिकित्सालय, मन्दसौर में उसका डॉक्टरी परीक्षण किया था। उसके दांयी भुजा और सिर पर दांये तरफ फेक्चर हो गया था और वह अस्पताल में 7 दिन के लिए भर्ती रहा था। अन्य आहत साक्षी 'सी' (अ.सा.2) ने भी 'बी' (अ.सा.1) द्वारा बताए गए अभियोजन के मामले की सीमा तक इसका समर्थन किया है। डॉक्टर 'डी' (अ.सा.3) ने भी 'बी' (अ.सा.1) एवं 'सी' (अ.सा.2) के कथनों का उनकी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 3 व 4, 'बी' की एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी. 5 एवं एक्स-रे प्लेट आर्टिकल एक्स-1 एवं एक्स-2 को प्रमाणित करते हुए समर्थन किया है।

अपने प्रतिपरीक्षण में 'बी' (अ.सा.1) ने बचाव के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे गिरने के कारण चोटें आई थी।

प्रतिरक्षा साक्ष्य :-

अभियुक्त ए-1 और ए-2 ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उनके परीक्षण में उनके विरुद्ध लगाए आक्षेपों से इन्कार किया और यह बचाव लिया है कि रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा अभियुक्तगण ने बचाव में और साक्ष्य नहीं दी है।

अभियोजन का तर्क :-

जिला अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना और अभियुक्तगण के बचाव स्वीकार योग्य न होना बताते हुए अभियुक्तगणों को सभी आरोप में दोषसिद्ध कर कठोर दंड दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

प्रतिरक्षा में तर्क :-

बचावपक्ष की ओर से रंजिशवश अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने और किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत न करने से साक्षियों के कथन संदेहास्पद होने का तर्क देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

* * * * *